अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 131/2023

05
26.12.2023

राज्य

बनाम

ऐजाज असारी उर्फ नजमुद्दीन अंसारी पिता सुल्तान अंसारी, निवासी – पुन्दाग थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची (झारखण्ड)

...... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1488/डी०सी०बी० दिनांक 10.11.2023 द्वारा कुख्यात भू–माफिया ऐजाज असारी उर्फ नजमुद्दीन अंसारी पिता सुल्तान अंसारी, निवासी – पुन्दाग थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निनांकित है:–

1. जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) थाना कांड संख्या–116/16 दिनांक–05.04.2016 धारा– 147/148/149/420/406/506 भा०द०वि०
2. जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) थाना कांड सख्या–276/22 दिनांक–26.07.2022 धारा– 341/323/448/387/504/506/34 भा०द०वि०
3. अप्रा0सं0–08/16, दिनांक 06.04.2016, धारा 107 द०प्र०सं०
4. अप्रा0सं0–25/16, दिनांक 02.09.2016, धारा 107 द०प्र०सं०

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

5. अप्रा0सं0–14/16, दिनांक 02.09.2016, धारा 144 द०प्र०सं०

6. अप्रा0सं0–15/23, दिनांक 28.07.2023, धारा 107 द०प्र०सं०

7. पुन्दाग ओ०पी० सनहा सं० 11/23 दिनांक–09.09.2023

8. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं० 18/2023 दिनांक 11.09.2023

9. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं० 16/2023 दिनांक 26.09.2023

10. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं० 09/2023 दिनांक 16.10.2023

11. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं० 18/2023 दिनांक 27.10.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, हटिया, राँची का ज्ञापांक–2693/23, दिनांक–06.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि ऐजाज असारी उर्फ नजमुद्दीन अंसारी पिता सुल्तान अंसारी, निवासी – पुन्दाग थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची एक कुख्यात भू–माफिया है। इनका मुख्य पेशा लोगों में भय दिखाकर जमीन पर कब्जा करना, जमीन के नाम पर ठगी करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना एवं लोगों को हथियार दिखाकर भयाक्रांत करना है। इनके भय से लोग दहशत में भी रहते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई होने पर आम लोगों को शांति एवं सुरक्षा का अनुभव होता है थाना में काण्ड दर्ज होने के उपरांत यह कुछ दिन सही रहते है तत्पश्चात उग्र एवं उदण्ड प्रवृति के रूप में आ जाते है। अपराधिक घटना में शामिल रहने के बावजूद भी संबंधित कांडों के पीड़ित गवाह एवं अन्य लोग भय से इनके खिलाफ गवाही देने तथा पुलिस को बताने को तैयार नहीं होते हैं। फलस्वरूप कई अन्य अपराधिक घटनाओं में शामिल होने के बावजूद भी संबंधित कांडों में अभियुक्तिकरण नहीं हो पाता है। इनके अपराधिक गतिविधि से आम जनता में भय दहशत एवं आतंक व्याप्त है। जिससे लोक व्यवस्था शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – पुलिस के द्वारा विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ० पी०) थाना कांड सं० 116/16 से उत्पन्न जी०आर० 2020/2016 मे विपक्षी को अग्रीम जमानत प्राप्त है। वर्त्तमान मे यह वाद विद्वान एस०डी०जे०एम० के न्यायालय मे लंबित है। जगरनाथपुर थाना कांड सं० 272/2022 मे विपक्षी को ए०बी०पी० सं० 3324/23 मे माननीय ए०जे०सी० श्री विशाल श्रीवास्तव के न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त है। इस वाद मे उन्हे साक्ष्य के अभाव मे अग्रीम जमानत निर्गत किया गया है। विपक्षी के द्वारा धारा 144 द०प्र०सं० एवं 107 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दर्ज वाद सं० 8/16, 25/16 एवं 15/16 मे उन्हे नोटिस प्राप्त नही है। तथा वाद सं० 14/16 के बारे मे उन्हे जानकारी प्राप्त नही है। विपक्षी असामाजिक तत्व नहीं है, ना उनके कोई गतिविधियों से लोक प्रशान्ति प्रभावित हो रही है। उनके खिलाफ झुठे एवं बेबुनियाद आरोपों के तहत्त सन्हा दर्ज किया गया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एक कुख्यात भू–माफिया है। इनका मुख्य पेशा लोगों में भय दिखाकर जमीन पर कब्जा करना, जमीन के नाम पर ठगी करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना एवं लोगों को हथियार दिखाकर भयाक्रांत करना है । उपरोक्त तथ्य विपक्षी के सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित भू–माफिया ऐजाज असांरी उर्फ नजमुद्दीन अंसारी पिता सुल्तान अंसारी, निवासी – पुन्दाग थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी ऐजाज असांरी उर्फ नजमुदीन अंसारी पिता सुल्तान अंसारी, निवासी – पुन्दाग थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची को दिनांक 29.12.2023 से दिनांक 28.03.2024 तक की अवधि के लिए पुन्दाग ओ०पी०, राँची में प्रत्येक माह में एक दिन को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे प्रभारी, पुन्दाग ओ०पी० के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 28.12.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 29.12.2023 से दिनांक 28.03.2024 तक प्रत्येक माह में एक दिन पुन्दाग ओ० पी०, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी ऐजाज असांरी उर्फ नजमुदीन अंसारी पिता सुल्तान अंसारी, निवासी –पुन्दाग थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति ऐजाज असांरी उर्फ नजमुदीन अंसारी पिता सुल्तान अंसारी, निवासी – पुन्दाग थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:08:33 -08:00
Location: 192.168.1.4